उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पिकप भवन तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

संदर्भ संख्या F 30149 सी–1/एन/एन0ओ0सी0–938/2013 दिनांक 9-9-13

सेवा में,

मै0 ग्रुप हाउसिंग "ग्रीन्स मैन्सन",

प्लाट नं0–एचआरए–14, सूरजपुर, साइट–सी, (एक्सटेंसन),

हाउसिंग सेक्टर–जेटा–01, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक.............................. का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:–

(क) स्थल.......... प्लाट नं0–एचआरए–14, सूरजपुर, साइट–सी, (एक्सटेंसन),

हाउसिंग सेक्टर–जेटा–01, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

(ख) उत्पादन ....प्रस्तावित 11586 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल में आवासीय परियोजना का निर्माण ।.............
Built up Area 52778.6 m^2

ग) मुख्य कच्चे माल............बिल्डिंग मैटेरियल..

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा..................शून्य..

(ड.) प्रयुक्त ईंधन.......... 750 केवीए का 03 डी0जी0सेट ....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।
5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रों 135 KLD.......से अधिक नहीं होगी।...........एस0टी0पी0......... के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।
6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक..तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

७– मै0 ग्रुप हाउसिंग ''ग्रीन्स मैन्सन'', प्लाट नं0–एचआरए–14, सूरजपुर, साइट–सी (एक्सटेंसन), हाउसिंग सेक्टर–जेटा–01, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रस्तावित 11586 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल आवासीय परियोजना का निर्माण किया जायें।

८– संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 160 के०एल०डी० के एस०टी०पी० का निर्माण करें एवं शुद्धिकृत उत्प्रवाह का अधिकतम पुनः प्रयोग किया जायें।

९– भवन निर्माण में भूजल का प्रयोग नही किया जायेगा।

१०– संस्था शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

११– सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रस्तावानुसार किया जायें।

१२– समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रस्तावानुसार चिमनी भी स्थापित की जायें।

१३– संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१४– संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१५– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम,१९७४ एवं वायु अधिनियम,१९८१ के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

१६– संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त किया जायें।

१७– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।

१८– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा० न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।

१९– उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नही डाला जायेगा।

२०– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक– एफ–२८९००/एन/एन०ओ०सी०–९३८/२०१३, दिनांक १४.८.१३ का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक............................... .... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0. एन0ओ0सी0 तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :...........गौतमबुद्धनगर..
....

2. उपकर अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :.........नोएडा...
....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त–1